संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/रा0ब0सहा0नि0/एफ–334/सेल–2/2018/ 575 भोपाल,दिनांक 27/09/2018

प्रति,

संचालक/अधिष्ठाता/अधीक्षक,

....

....

....

विषयः– राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत निःसंतानता के उपचार के संबंध में।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं, कि वर्तमान में राज्य बीमारी सहायता निधि योजना अंतर्गत निःसंतानता के उपचार हेतु प्रथम पैकेज रू0 55000/–(रूपये पचपन हजार मात्र) एवं द्वितीय पैकेज रू0 60000/– (रूपये साठ हजार मात्र) स्वीकृत करने का प्रावधान है। उक्त स्वीकृत पैकेजो में से रु0 5000/–(रूपये पॉच हजार मात्र) हितग्राही को परिवहन एंव रहने खाने के लिए दिए जाने का प्रावधान हैं।

राज्य बीमारी सहायता निधि योजना ऑनलाइन किए जाने के पश्चात प्रथम पैकेज रु0 55000/–(रूपये पचपन हजार मात्र) एंव द्वितीय पैकेज रु0 60000/–(रूपये साठ हजार मात्र) सीधे अस्पताल के खाते में ही जमा हो जाती है। जिस कारण हितग्राही को रु0 5000/–(रूपये पॉच हजार मात्र) का भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिस कारण निःसंतानता उपचार के प्रकरण लंबित होते जा रहे है।

अतः राज्य बीमारी सहायता निधि योजनान्तर्गत जब तक ऑनलाईन प्रक्रिया में परिवर्तन कर हितग्राही को रु. 5000/–(रूपये पॉच हजार मात्र) दिये जाने की प्रक्रिया क्रियाशील नहीं हो जाती हैं, तब तक शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों को यह निर्देशित किया जाता है, कि निःसंतानता के उपचार हेतु अस्पतालों को प्राप्त राशि में से रू0 5000/– (रूपये पॉच हजार मात्र) मरीज के खाते में ऑनलाईन ई.–पेमेन्ट किये जावें एवं उक्त पेमेन्ट राशि की रसीद संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा संबंधित हितग्राही को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्य.प्रदेश

पृ.क. 4/रा0ब0सहा0नि0/एफ–334/सेल–2/2018/ 576 भोपाल,दिनांक 27/09/2018

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
3. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र।
4. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
6. संचालक, आई.टी, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल, म.प्र.।
7. समस्त, कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,मध्यप्रदेश।
10. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
11. उप संचालक, आर.बी.एस.के., एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
12. प्रभारी, एम.आई.एस. डिवीजन स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
13. रिशिका श्रीवास्तव, Assistant Marketing Executive, एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड निरूपम शॉपिंग मॉल, 2nd फ्लोर, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड़, भोपाल ।
14. श्रीमती सन्नो चतुर्वेदी, पति श्री रनदीप कुमार चतुर्वेदी, मो0 8964938857।
15. श्रीमती शोभा देवी, पति श्री विजिन शाह, मो0 9993500231, 6265188650।
16. श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव पति श्री राजू श्रीवास्तव, मो0 9826058322।
17. श्रीमती धनकुमारी पति श्री अशोक चौरसिया, मो0 8435693282।

संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्य.प्रदेश